न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री विनोदकुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

म्युटेशन अपील सं. 03 / 2011
दायरा तिथि 29.04.2011
निर्णय तिथि 11.09.2017

अपीलांट– **बनाम:**

श्रीमती लक्ष्मी उर्फ लसी पुत्री चेनाजी,
जाति कुम्हार निवासी फतापुरा
तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

रेस्पोडेन्ट्सः–

1–सरपंच, ग्राम पंचायत सलोदरिया
2–वरदाराम पुत्र चेनाजी जाति कुम्हार
निवासी बामनेरा तहसील सुमेरपुर
3–जेठाराम पुत्र चेनाजी जाति कुम्हार
निवासी कोलीवाडा तहसील सुमेरपुर
4–कसनाराम पुत्र चेनाजी जाति कुम्हार
निवासी अरठवाडा तहसील शिवगंज
5–गेनाराम पुत्र चेनाजी जाति कुम्हार
निवासी जोयला तहसील शिवगंज
6–उमाराम पुत्र चेनाजी जाति कुम्हार
निवासी कोलीवाडा तहसील सुमेरपुर
7–स्व.गलबा पुत्र ओटाजी सुथार के का.मु.–
7 / 1–वेनाराम पुत्र गलबाजी
7 / 2–कुपाराम पुत्र गलबाजी
जातिगण सुथार निवासीगण
फतापुरा तहसील सुमेरपुर
8–स्व.नवीया पुत्र चेनाजी कुम्हार के का.मु.–
8 / 1–स्व.गलबा पुत्र नवीयाजी के का.मु.–
8 / 1 / 1– मगन पुत्र गलबाजी
8 / 1 / 2–मोतीलाल पुत्र गलबाजी
8 / 1 / 3–मंछाराम पुत्र गलबाजी
8 / 2–जेठा पुत्र नवीयाजी
9–स्व.धुला पुत्र चेनाजी कुम्हार के का.मु.–
9 / 1–स्व.केसाराम पुत्र धुलाजी के का.मु–
9 / 1 / 1–चतरा पुत्र केसारामजी
9 / 1 / 2–शंकर पुत्र केसारामजी
जातिगण कुम्हार निवासीगण
फतापुरा तहसील सुमेरपुर

म्युटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 RLRAct,1956

(विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 10 दिनांक 30.06.1962 सरपंच, ग्राम पंचायत सलोदरिया द्वारा स्वीकृत किया गया है, को निरस्त कराने बाबत्)

–: निर्णय :–

निर्णय तिथि 11.09.2017

उपरोक्त म्युटेशन अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः–

(1) कि अपीलांट द्वारा विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के यह म्युटेशन अपील कतिपय प्रावधान के तहत मय प्रश्नगत् अपील के डिले को कन्डोन करने हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 5 मर्यादा अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर इस आशय का निवेदन किया है कि सरहद मौजा फतापुरा, तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि गत् खसरा नं. 14, 15, 16 कुल रकबा 45)16 बीघा एवं खसरा नं. 12, 12 / 1, 13 कुल रकबा 37)4 बीघा नवीया, धुला पि.चेना 1 / 2 हिस्सा एवं चेना वल्द मकना 1 / 2 हिस्सा कौम कुम्हार नि.फतापुरा के

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

कब्जे काश्त की खातेदारी थी। अपीलांट के पिता चेना पुत्र मकनाजी का स्वर्गवास हो जाने से दिनांक 30.06.1962 को गलत रूप से नामान्तकरण सं.07 केवलमात्र अपीलांट के भाई वरदा, जेठा, कसना, गेना, उमा पि.चेनाजी के नाम से ही भरा गया, जबकि स्व. चेनाजी के अन्य कानूनी उत्तराधिकारी एवं वारिसान अपीलांट स्वयं व हस्तु, नाजू पुत्रीया चेनाजी भी जीवित थी जिनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही किया गया जो गलत व गैर–कानूनी है जिसके विरूद्ध अलग से म्युटेशन अपील की गई है। अपीलांट व स्व. चेनाजी के अन्य वारिसान द्वारा गलबा पुत्र ओटाजी को विवादग्रस्त कृषि भूमि कभी भी बैचान या हस्तान्तरण नही की है, फिर भी लिखत बैचान रूपये 50/– में गत् खसरा नं. 14, 15, 16 की भूमि गलबा पुत्र ओटाजी के नाम कूटरचित व फर्जी बैचान बताकर ग्राम पचायत द्वारा बिना किसी कानूनन कोई प्रस्ताव लिए ही गलत रूप से नामान्तकरण सं.09 को स्वीकृत कर उक्त भूमि गलबा पुत्र ओटाजी के नाम खातेदारी मे दर्ज कर दी गई, जिसकी म्युटेशन अपील अलग से कर दी गई है। इसके अलावा गत् खसरा नं. 12, 12/1, 13, 14, 15, 16 की भूमि में चेना पुत्र मकनाजी कुमहार का 1/2 हिस्सा संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी में था जो फौतेदगी नामान्तकरण के जरिए रेस्पोडेन्ट सं.02 लगाय 06 एवं अपीलांट व अपीलांट की बहनों के नाम से बहैसियत उत्तराधिकारी एवं वारिसान स्व.चेनाजी के खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी, परन्तु रेस्पोडेन्ट सं.01 व पटवारी एवं आर.आई. ने बाले–2 फौतेदगी नामान्तकरण सं.07 भरकर स्वीकृत कर दिया जो गलत व गैरकानूनी है जिसके विरूद्ध अलग से म्युटेशन अपील कर दी गई है।

(2) कि कथित म्युटेशन अपील में अपीलांट ने यह भी कथन अभिव्यक्त किए है कि उपरोक्त कृषि भूमि के बारे में संवत् 2013 आसोज वद दुज को लिखित बंटवाडा अनुसार अपीलाधीन नामान्तकरण सं.10 भरा जाकर दिनांक 30.06.1962 को रेस्पोडेन्ट सं.01 द्वारा स्वीकृत किया गया है जो गलत व गैरकानूनी है, जबकि ऐसा कोई लिखित बंटवाडा न तो निष्पादित हुआ है और ना ही भूमिधारी–तहसीलदार की सहमति ली गई है, ऐसे कानूनी बिन्दुओं के अभाव में बंटवाडा बाबत् अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है जो पूर्णतया विधि–विरूद्ध होने से कानूनन शून्य व काबिल खारिज है। चूंकि उक्त कृषि भूमि से संबंधित सहखातेदार गलबा पुत्र ओटाजी सुथार का स्वर्गवास हो जाने से उनके वारिसान रेस्पोडेन्ट सं. 7/1 व 7/2 तथा नवीया पुत्र चेनाजी व धुला पुत्र चेनाजी का स्वर्गवास हो जाने से उनके वारिसान रेस्पोडेन्ट सं. 8 व 9 को उक्त प्रकरण मे पक्षकार बनाया गया है। साथ ही अपीलांट को उक्त कृषि भूमि से सबधित नामान्तकरण सं.7 व 9 गलत व गैरकानूनी रूप से स्वीकृत होने तथा आगे से आगे हस्तान्तरण होने की जानकारी मिलने पर एवं दिनांक 31.03.2011 को उक्त नामान्तकरण की प्रमाणित प्रतिलिपिया प्राप्त होने पर उपरोक्त तथ्यों की पूर्ण जानकारी हुई है, चूंकि अपीलांट अशिक्षित व घरेलू महिला होने से कानूनी प्रक्रिया नहीं समझती है, इसलिए अपीलांट द्वारा यह अपीलाधीन नामान्तकरण अपील अन्दर मयाद पेश कर रही है जिसे अन्दर मयाद मानकर अपीलाधीन नामान्तकरण सं.10 दिनांक 30.06.1962 जो पूर्णतया गलत व गैरकानूनी होने से कानूनन शून्य है, को निरस्त फरमाकर उपरोक्त कृषि भूमि में स्व.चेना पुत्र मकनाजी के 1/2 हिस्से में उनके उत्तराधिकारी एवं वारिसान अपीलांट व उनके अन्य भाई–बहनों का नाम खातेदारी में दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान करावे। अपीलांट ने कथित म्युटेशन अपील के साथ साक्ष्य–दस्तावेज अपीलाधीन म्युटेशन सं.10 दिनांक 30.06.1962 की प्रमाणित छाया प्रति पेश की है।

(3) कि कथित प्रकरण में रेस्पोडेन्ट सं. सं.7/1 व 7/2, 8/1/1 लगाय 8/2 व 9/1/1 एवं 9/1/2 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट सं.01 लगाय 06 की ओर से पर्याप्त अवसर के बावजूद अपील–जवाब पेश नहीं करने पर उनके विरूद्ध यह अवसर समाप्त किया गया। कथित प्रकरण बहस हेतु विचारार्थ रहते उभयपक्षीय अधिवक्तागण ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त म्युटेशन अपील अन्दर म्याद मैरिट पर

लगातार–3

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

स्वीकार करने पर रेस्पोडेन्ट सं.02 लगाय 06 की आपत्ति नहीं है, रेस्पोडेन्ट स.7/1 व 7/2, 8/1/1 लगाय 8/2 व 9/1/1 एव 9/1/2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है, रेस्पोडेन्ट सं.01 फॉरमल पक्षकार है फिर भी ग्राम पंचायत ने अपीलाधीन नामान्तकरण सं.10 के बारे में कोई प्रस्ताव या बटवाडा बाबत् कोई दस्तावेज/प्रमाण पेश नही किया है। इसलिए उक्त म्युटेशन अपील को स्वीकार फरमावे।

हमने, कथित प्रार्थना पत्र व प्रकरण से संबंधित उभयपक्षीय अधिवक्तागण की बहस–दलील पर मनन व विचारण किया, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् म्युटेशन अपील में वर्णित अपीलांट द्वारा अभिव्यक्त किए गये कथनों व तथ्यों की बखुबी पुष्टि होती है तथा उभयपक्षीय अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत कथित प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों व दलील से हम पूर्णतः सहमत है। अतः उल्लेखित तथ्यों व कथनों पर विचारण करने के पश्चात् हमारी विधिक राय है कि प्रश्नगत् म्युटेशन अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण सं.10 दिनांक 30.06.1962 जो कि पूर्णतया गलत व गैरकानूनी होने से कानूनन शून्य है, को निरस्त करते हुए यह मामला तहसीलदार सुमेरपुर को इस दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि उपरोक्त कृषि भूमि से संबंधित पूर्व खातेदार स्व.चेना पुत्र मकनाजी के 1/2 हिस्से में उनके उत्तराधिकारी एवं वारिसान अपीलांट व उनके अन्य भाई–बहनों का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदारी दर्ज किए जाने हेतु विधिवत् व नियमानुसार कार्यवाही यथासमय पर सुनिश्चित करे।

अतः उल्लेखित विश्लेषण एवं विवेचित तथ्यों के परिणामतः अपीलांट की यह म्युटेशन अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के कतिपय प्रावधान के तहत अपील डिले को कण्डोन करते हुए स्वीकार की जाकर सरहद सरहद मौजा फतापुरा, तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि गत् खसरा नं. 14, 15, 16 कुल रकबा 45)16 बीघा एवं खसरा नं. 12, 12/1, 13 कुल रकबा 37)4 बीघा से संबंधित अपीलाधीन नामान्तरकरण सं.10 दिनांक 30.06.1962 जो कि पूर्णतया गलत व गैरकानूनी होने से कानूनन शून्य है, को निरस्त किया जाकर यह मामला तहसीलदार सुमेरपुर को इस दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त कृषि भूमि से संबंधित पूर्व खातेदार स्व.चेना पुत्र मकनाजी के 1/2 हिस्से में उनके उत्तराधिकारी/वारिसान अपीलांट के भाई क्रमशः वरदा, जेठा, कसना, गेना, उमा पि. स्व.चेनाजी व बहिने अपीलांट लक्ष्मी उर्फ लसी, स्व. स्व.हस्तु के वारिसान–भगाराम पुत्र हस्तु, हंजा पुत्री हस्तु, स्व.नाजु के वारिसान–मगनलाल, पुखराज, दुर्गाशंकर, मुरलीधर, मोहन पुत्रगण नाजु का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदारी दर्ज किए जाने हेतु विधिवत् व नियमानुसार कार्यवाही यथासमय पर सुनिश्चित करे।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 11.09.2017 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner